



डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्ब०/ ११५२/ २०२४ दिनांक:—१९.०२.२०२४

कार्यालय—ज्ञाप

ऐसे अस्थायी बी०ए० पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालय जिनके द्वारा सत्र 2024–25 में रुक्षायी/अग्रेत्तर सम्बद्धता प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय—सारिणी के अनुसार नियमानुसार निरीक्षण मण्डल गठन हेतु आवेदन किया गया है। ऐसे समस्त महाविद्यालयों का विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण मण्डल का गठन कर दिया गया है। महाविद्यालय गठित निरीक्षण मण्डल के सदस्यों से सम्पर्क कर महाविद्यालय का रथलीय भौतिक निरीक्षण किये जाने हेतु समय एवं तिथि निर्धारित कर लें अन्यथा कि रिस्ट्रिक्शन में निर्धारित तिथि के उपरान्त निरीक्षण मण्डल के किसी भी सदस्य की असहमति की दशा में नाम परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा।

उक्त से अवगत होते हुये विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण से महाविद्यालय का भौतिक सत्यापन कराकर (प्रारूप—२९ बिन्दु एवं ११ बिन्दु) निरीक्षण आख्या अतिशीघ्र सदस्य—सचिव के माध्यम से ०२ प्रति में सुसंगत अभिलेखों सहित पत्रावली विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

८२

कुलसचिव

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अधीक्षक—कुलपति सचिवालय, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. प्राचार्य/सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
3. सदस्य—सचिव, गठित पैनल को इस आशय से प्रेषित कि निरीक्षण सम्बन्धी प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण करते हुये आख्या अपने स्तर से ०२ प्रति में विश्वविद्यालय को समयान्तर्गत प्रत्येक—दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
4. बेवसाइट प्रभारी को इस आशय से प्रेषित कि सूचना को विश्वविद्यालय बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाइल।

८२

कुलसचिव